मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १९ सन् २०१४

मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, २०१४

मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है. **संक्षिप्त नाम.**

२. मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५७ (क्रमांक ७ सन् १९५७) की धारा ३ में, शब्द ''दो सौ करोड़ रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''पांच सौ करोड़ रुपये'' स्थापित किए जाएं. **धारा ३ का संशोधन.**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि दो करोड़ रुपये के अग्रदाय के साथ १ नवम्बर, १९५६ को स्थापित की गई थी. चूंकि राज्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये यह रकम अपर्याप्त पाई गई, अतएव समग्र निधि में समय-समय पर वृद्धि की गई, वर्तमान में यह दो सौ करोड़ रुपये है. बाद में भी यह निधि आकस्मिकताओं से संबंधित अनवेक्षित व्ययों की पूर्ति करने के लिये अपर्याप्त पाई गई. योजना व्यय एवं अन्य व्यय में वृद्धि की दृष्टि से, यह समीचीन है कि समग्र आकस्मिकता निधि में वृद्धि की जाए. अतएव, यह प्रस्तावित है कि मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५७ (क्रमांक ७ सन् १९५७) में यथोचित रूप से संशोधन करके, आकस्मिकता निधि को बढ़ाकर पांच सौ करोड़ रुपये किया जाए.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १८ जुलाई २०१४.

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित संशोधन के फलस्वरूप राज्य की संचित निधि में आकस्मिक परिस्थितियों से संबंधित कार्यों के लिये राशि रुपये ५०० करोड़ के व्यय अनुमानित हैं, परन्तु यह राशि आकस्मिकता निधि के रूप में उपलब्ध रहेगी.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५७ (क्रमांक ७ सन् १९५७) से उद्धरण.

*   *   *   *

धारा ३- अग्रदाय रूप में ''मध्यप्रदेश राज्य की आकस्मिकता निधि'' नामक एक निधि की स्थापना है. जिसमें मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दौ सौ करोड़ की राशि का भुगतान किया जायेगा.

*   *   *   *

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.